(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

प्रकरण संख्या : 67/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 08.10.2024 निर्णय दिनांक : 12.11.2024

1. कैलाशचन्द पुत्र महासिंह यादव जाति अहीर निवासी ग्राम खेड़की, तहसील बहरोड़, जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज. – प्रार्थी

बनाम

1. सुभाषचन्द पुत्र महासिंह यादव जाति अहीर निवासी ग्राम खेड़की, तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0।
2. उप पंजीयक बहरोड जिला कोटपूतली बहरोड।
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बहरोड, जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज.
4. उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज.।

– अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ मुकदमा संख्या 59/2020 को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री दिनेश कुमार शर्मा एड. – प्रार्थी की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश शर्मा एड. – अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के समक्ष प्रकरण बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, बउनवानी कैलाशचन्द बनाम सुभाषचन्द वगै0, मुकदमा नम्बर 59/2020 विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ ने अपने पत्रांक कोर्ट/2024/1041 दिनांक 21.10.2024 के द्वारा जाहिर किया है कि उनवानी प्रकरण वर्तमान में प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 जा.दी. की बहस में लंबित है तथा प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जो खारिज हुआ है। प्रार्थी के द्वारा कार्यवाही को बाधित करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे खारिज किये जाने योग्य बताते हुए यदि प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया है। वकील उभयपक्ष ने सीधी बहस करने का निवेदन किया।
3. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में तथ्य अंकित किया कि प्रार्थी कैलाशचन्द एवं अप्रार्थी संख्या 01 की पैतृक आराजीयात वाके ग्राम खेड़की का विभाजन आपसी सहमति से अच्छी–बुरी मुताबिक अर्सा करीब 30 साल पूर्व कर लिया गया था। प्रार्थी (वादी) के हिस्सा, कब्जा में खसरा नम्बर 251, 252 आई जिसमें प्रार्थी द्वारा रिहायशी मकानात, बोरिंग, विधुत कनैक्शन, बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करवाया है एवं अप्रार्थी संख्या 01 के हिस्सा, कब्जा में अन्य आराजीयात है जो लगभग 20 ऐयर अधिक है। प्रार्थी द्वारा उनवानी वाद संख्या 59/2020 लगभग 30 साल से किये हुए विभाजन के मुताबिक न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड के समक्ष पेश किया गया जिसमें खसरा नम्बर 251, 252 की खातेदारी प्रार्थी के हक में एवं शेष दावा में दर्ज आराजी अप्रार्थी संख्या 01 के हक में डिक्री किये जाने हेतु अनुतोष चाहा गया। अप्रार्थी ने खसरा नम्बर 251, 252 के 1/2 हिस्से का इकरारनामा प्रोपर्टी डीलरों के हक में तहरीर कर दिया। इसके बाद उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को अपने प्रभाव में लेकर प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 सीपीसी दिनांक 18.07.2023 को स्वीकार करवा लिया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा निगरानी संख्या 211 सन् 2024 राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

जिसमें राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 08.08.2024 को उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ का आदेश दिनांक 18.07.2023 को निरस्त कर दिया जिससे वाद साक्ष्य वादी स्तर पर आ गया। पीठासीन अधिकारी बहरोड़ ने प्रॉपर्टी डीलरों के अनैतिक दबाव, प्रभाव में रहते हुए बिना प्रार्थी को सुने पी.डी. जारी कर दी। जिसमें राजस्व मण्डल के आदेश की अनदेखी की गई। इस पी.डी. के विरूद्ध प्रार्थी ने राजस्व अपील अधिकारी अलवर के समक्ष अपील की जो लंबित है। प्रार्थी द्वारा विवादित खसरा नम्बर हेतु एक दिवानी वाद न्यायालय सिविल न्यायालय बहरोड़ में पेश करने पर न्यायालय द्वारा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। जिसकी पालना पीठासीन अधिकारी द्वारा नही की जा रही है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ द्वारा माननीय उच्च न्यायालयो के आदेश को नही मान रहे है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी बहरोड के द्वारा प्रकरण में न्याय की उम्मीद नही है। इसलिए श्रीमान जी से निवेदन है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ में विचाराधीन राजस्व वाद बउनवानी कैलाशचन्द बनाम सुभाषचन्द वगै0, मुकदमा नम्बर 59/2020 को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की कृपा करें।

5. वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुये दलील पेश की प्रार्थी के द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण को देरी करने व निस्तारित नही होने की मंशा से निराधार व गलत रूप से झूठा पेश किया गया है क्योकि उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ द्वारा पूर्व में जारी पी.डी. दोनो पक्षो को सुनकर नियमानुसार जारी की गई थी। प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी न्यायालय हाजा में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रकरण तहत न्यायालय में निस्तारण में देरी करने की मंशा से दिनांक 26.03.2024 को पेश किया गया था जो दिनांक 29.05.2024 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो गया। इस प्रकार पूर्व में भी लगभग दो माह तक प्रकरण को निस्तारण होने से लंबित रखा। अब पुनः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें पूर्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र का उल्लेख नही किया गया है तथा न्यायालय को गुमराह कर पुनः तहत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को निस्तारण से रोकने की मंशा से यह प्रार्थना पत्र लगाना साबित होता है। अन्त में वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि इन तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

6. पत्रावली का भलीभांति अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी के द्वारा बार–बार प्रार्थना पत्र पेश कर तहत के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को निस्तारण में देरी करने व प्रकरण का निस्तारण को रोकने की मंशा से बार–बार प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में पेश दस्तावेजो का ध्यानपुर्वक अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा अपनी बहस में जाहिर किये गये तथ्य प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्पा होना पाया जाता है। प्रार्थी द्वारा केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी बहरोड को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

7. यह निर्णय आज दिनांक 12.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कल्पना अग्रवाल)
RAS
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड

जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड